पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

करण सं0 : 139/2022

नवान :

अमीतकुमार पुत्र मनोहरलाल जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।

:— वादी

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
2. नीलमकुमारी पुत्री मनोहरलाल जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीलाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोबीन शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती हैं कि रोही मौजा झिलोदा के खाता सं0 30/29 के खसरा सं0 100 की 3.756है0 में प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल के नाम 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा गढडा के खाता सं0 24/31 के खसरा सं0 334 की 4.894है0, खसरा सं0 352 की 5.413है0 कुल खसरा 2 की 10.307है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल के नाम से 247/2811 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल व प्रतिवादी सं0 2 नीलमकुमारी ने वादी अमीतकुमार के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः उक्त वर्णित वाद भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल का नाम कलमजन कर वादी अमीतकुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner